

संचालनालय आयुष, म०प्र०
(अपर बेसमेंट "बी" विंग, सतपुडा भवन, भोपाल-462004)

www.mp.gov.in/dismh
E-mail: mp_dismh@yahoo.com

Office (0755)2552931
Fax (0755) 2760225

2571643,25711
0225

विज्ञापन

म.प्र. एम.डी. (होम.) प्रवेश नियम-2017 के कम में उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु इच्छुक ए.आई.ए.पी.जी.ई.टी.-2017 में सम्मिलित अभ्यर्थियों को निम्नानुसार जानकारी एम.पी.ऑनलाईन के पोर्टल पर पंजीयन के लिए दर्ज कराना आवश्यक है। तदनुसार ही आगामी प्रवेश प्रक्रिया संपादित हो सकेगी। अतः समस्त इच्छुक अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि निम्नानुसार जानकारी एम.पी. ऑनलाईन mponline.gov.in के पोर्टल पर दिनांक 29/09/17 से दिनांक 03/10/2017 तक दर्ज करावे:-

1. अभ्यर्थी (ए.आई.ए.पी.जी.ई.टी.-2017) का रोल नम्बर:-
2. अभ्यर्थी का नाम(ए.आई.ए.पी.जी.ई.टी.-2017 में दर्ज) :-
3. पिता/पति का नाम:-
4. जन्मतिथि(ए.आई.ए.पी.जी.ई.टी.-2017 में दर्ज) :-
5. लिंग(म./पु.):-
6. प्रवर्ग/ संवर्ग(UR/ST/SC/OBC)(H/F):-
7. सेवारत्(उक्त प्रवेश नियम के 4.1 से 4.7के अनुसार)/गैर सेवारत्
8. अभ्यर्थी को ए.आई.ए.पी.जी.ई.टी.-2017 में प्राप्तांक:-
9. मूल/स्थानीय निवासी:- (म.प्र./अन्य राज्य)
10. स्थाई पता(ए.आई.ए.पी.जी.ई.टी.-2017 में दर्ज):-
11. मो. नं.(ए.आई.ए.पी.जी.ई.टी.-2017 में दर्ज):-
12. ई-मेल आई.डी.(ए.आई.ए.पी.जी.ई.टी.-2017 में दर्ज):-

(ए.आई.ए.पी.जी.ई.
टी.-2017
अनुसार फोटो)

नोट:-

1. म.प्र. के शासकीय स्वशासी/निजी होम्योपैथी महाविद्यालयों में संचालित एम.डी.(होम.) पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों को उपरोक्तानुसार पंजीयन कराना आवश्यक है। अन्यथा प्रवेश प्रक्रिया संपादित न हो पाने के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।
2. प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों को एम.पी. ऑनलाईन द्वारा निर्देशित पंजीयन प्रक्रिया का पालन किया जाना आवश्यक है।
3. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि पोर्टल पर दर्ज की जाने वाली जानकारी सत्य एवं प्रमाणित होनी चाहिये। जानकारी सबमिट करने के पूर्व एक बार पुनः सभी अंकित जानकारी की पुष्टि कर लेवे। असत्य व अप्रमाणित जानकारी दर्ज करने के कारण प्रवेश प्रक्रिया के किसी भी चरण में अमान्य घोषित हो जाने पर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे।
4. प्रवेश हेतु इच्छुक सभी अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त रजिस्ट्रेशन सह मैरिट तैयार किये जाने की प्रक्रिया एक ही बार संपन्न की जावेगी तथा उक्त तैयार मैरिट के आधार पर ही प्रवेश काउंसिलिंग की आवश्यक प्रक्रिया संपादित की जावेगी। रजिस्ट्रेशन दिनांक समाप्त हो जाने के पश्चात् किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश काउंसिलिंग प्रक्रिया के किसी भी चरण में शामिल नहीं किया जावेगा जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे।
5. उक्त प्रवेश नियम व अन्य आवश्यक जानकारी संचालनालय आयुष म०प्र० भोपाल की वेबसाइट www.ayush.mp.gov.in & www.mponline.gov.in पर भी उपलब्ध है।

आयुक्त द्वारा अनुमोदित

(डॉ. सतीशचन्द्र शर्मा)
प्र० संयुक्त संचालक
संचालनालय आयुष म.प्र.